

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>गोपीराम अग्रवाल बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 148/2020</p>	<p>नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>16.10.20</p>	<p>अपीलार्थी गोपीराम अग्रवाल, आर.टी.आई रिसर्च सेन्टर, बांसवाड़ा(राज.) ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 09.07..20 में उसके द्वारा (1) राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 05.11.2019 को समस्त जिला कलक्टर को प्रेषित परिपत्र एवं माननीय उच्च न्यायालय जयपुर पीठ की डी.बी.सिविल रिट पिटीशन(पीआईएल) नं. 10819/2018 जगदीश प्रसाद मीना बनाम राजस्थान सकार आदेश दिनांक 30.01.2019 के निर्देशों की पालना में सार्वजनिक भूमि संरक्षण सेल में आये प्रत्येक आवेदन के रजिस्ट्रेशन का क्रमांक दिनांक व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लो.सू.अ.(अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	